रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1629] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 4, 2015/श्रावण 13, 1937
No. 1629] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 4, 2015/SHRAVANA 13, 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 2015

का.आ. 2117(अ).—निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देने में हितबद्ध है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, आक्षेप या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंद्रा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 या ई-मेल पते: esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकेगा ।

प्रारूप अधिसूचना

मृगवाणी राष्ट्रीय उद्यान, चिल्कूर (जिसे इसके बाद अभयारण्य कहा गया है) हैदराबाद शहर से लगभग 17 किलोमीटर पर हैदराबाद–शवेल्ला–विकाराबाद–तंदूर राज्य राजमार्ग पर स्थित है और लगभग 900 एकड में फैला हुआ है और उद्यान को अब शहर का हिस्सा माना जाता हैं;

और, राष्ट्रीय उद्यान में चट्टानें, पहाडियां, घाटियां और लहरदार मैदान जैसे भौतिक परिलक्षण हैं और इसमें हैदराबाद शहर के करीब तेजी से विकास कर रहे दखन के पठार में पाये जाने वाले अनेक प्रकार के प्राणी और वनस्पतियों के अवशेष पाये जाते हैं ;

और, यह क्षेत्र जैव–विविधता का धनी है, जिसमें 600 से ज्यादा पेड़ों की प्रजातियाँ मुख्यतः एनोजिसिस लेटोफोलिया, लगरस्ट्रोनया परवोफ्लोरा, अलबिजिया अमारा, काससिया फिजटूला, स्पैडर्स इमनगिनाईट्स, बूटिया मोनोस्प्रमा, फिक्स स्पप, डलबेरिजिया पेनीकोलेटा, अकाकिया सून्दरा, क्लोरोजिलोन सूटिनीया, गेरूई टेलीफोलिया, नीम, टीक, रोज वुड, सैदंल वुड आदि पायी जाती हैं ;

और, जहाँ राष्ट्रीय उद्यान विविध जन्तुवर्गों का आक्षय स्थल है जिसमें 120 प्रजातियों की पक्षियाँ, जैसे कामन पीफाइल, ग्रास आउल इत्यादि, 20 प्रजातियों के स्तनधारी जैसे स्पाट्ड डियर, सांभर, पोरकूपाइन, वाइल्ड बोर इत्यादि, 20 प्रकार के सरीसृप प्रजातियाँ जैसे भारतीय कोबरा, भारतीय पाइथन, मोनाइटर लीजार्ड्स इत्यादि ;

और, राज्य सरकार के नागरिक प्रशासन और शहरी विकास विभाग (11) द्वारा जारी जी ओ सं. 111, तारीख 08.03.1996 के अनुसार हिमायत सागर और ओस्मान सागर झीलों जो हैदराबाद और सिकंदराबाद नगर के लिए पेयजल की आपूर्ति का मुख्य स्त्रोत हैं के 10 कि.मी. के भीतर विभिन्न कार्यकलापों को प्रतिषिद्ध करने के लिए आदेश जारी किए गए थे ;

और, अब इस क्षेत्र का परिरक्षण और संरक्षण करना आवश्यक है तथा जिसकी सीमाओं को इस अधिसूचना के पैरा 1 में मृगवाणी राष्ट्रीय उद्यान के चारों ओर पारिस्थितकीय संवेदी जोन के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है और पर्यावरण की दृष्टि से उद्योगों या उद्योगों के वर्ग को तथा उनकी संक्रियाओं और प्रक्रियाओं को उक्त पारिस्थितकीय संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) और उपधारा (3) के खंड (v) और खंड (xiv) के साथ पठित और उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मृगवाणी राष्ट्रीय उद्यान, चिल्कुर की सीमा से 5 किलोमीटर तक के विस्तारित क्षेत्र जो कि कथित जी ओ. न. 111 के तहत आने वाले क्षेत्र में है और तेंलगाना राज्य के रंगारेड्डी जिले के मंच्चिरावुला ग्राम की ओर 3 कि. मी. के क्षेत्र को मृगवाणी राष्ट्रीय उद्यान पारिस्थितिकीय संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकीय संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

1. **पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं.—**(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार, मृगवाणी राष्ट्रीय उद्यान चिल्कूर की सीमा से 5 किलोमीटर तक, राज्य सरकार के उल्लेखित जी. ओं. नं. 111 के तहत आने वाले

क्षेत्र में है और तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले के मंच्चिरावुला ग्राम की ओर 3 कि. मी. के क्षेत्र में है जो कि 17.21.132° से 17.21.893° उ. अक्षांश और 78.21.035° से 78.21.301° पू. देशांतर के बीच है ।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा का वर्णन उपाबंध I में उपाबद्ध है और ग्रामों की सूची उपाबंध II में दी गई है ।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा का मानचित्र अक्षांश और देशान्तर के साथ उपाबंध III के रूप में उपाबद्ध है ।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना.–(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रयोजनों के प्रभावी प्रबंधन के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से, आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रूप में ऐसी रीति में राज्य सरकार तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के सामंजस्य में, भी तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देश, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी।

(2) आंचलिक महायोजना संबंधित राज्य विभागों के साथ परामर्श से पर्यावरणीय और पारिस्थितिकीय विचारणों को उसमें एकीकृत करने के लिए तैयार की जाएगी, अर्थात्:—

(i) पर्यावरण ;
(ii) वन ;
(iii) नगर विकास ;
(iv) पर्यटन ;
(v) नगरपालिका ;
(vi) राजस्व ;
(vii) कृषि ;
(viii) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
(ix) सिंचाई; और
(x) लोक निर्माण विभाग

(3) उक्त योजना को राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाएगा ।

(4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों, नहरों और निकासी संकर्मों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि भू–उपयोग, अवसंरचनात्मक और क्रियाकलापों या संकर्मों का ऐसा उपयोग तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन या इस अधिसूचना के अधीन प्रतिषिद्ध न हो ; तथा आंचलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलाप के अधिक दक्ष और पारिस्थितिकीय अनुकूल होने में संवर्धनकारी होगा ।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे।

(6) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, आर्किडों, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी।

(7) आंचलिक महायोजना स्थानीय समुदायों की आजीविका को सुरक्षित तथा पारिस्थितिक अनुकूल विकास को सुनिश्चित करेगी ।

3. राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.—राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :—